

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	127/25	2025/195	04.08.2025	धर्मसिंह बनाम तहसीलदार वजीरपुर	26.11.2025	1 लगायत 2

1. धर्मसिंह पुत्र भरती जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर। —अपीलार्थी
बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर । —रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:-

अपीलार्थी की और से :- विद्वान अभिभाषक श्री इस्लाम खां।

रेस्पोडेन्ट की और से :- पेरोकार सरकार

अपील अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 11/2023 में पारित निर्णय दिनांक 6.09.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डीप के आराजी ख0नं0 3463 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार वजीरपुर को रिपोर्ट पेश की कि अपीलार्थी द्वारा भूमि हाल खं0नं0 3463 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह ग्राम खण्डीप में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। इस पर अपीलार्थी को बिना नोटिसों की तामील हुये ही अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया , जो निरस्त योग्य है ,जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील निम्न आधारों पर पेश करनी आवश्यक हुयी. है। यह है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदार मिसल है,जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर ही अपीलार्थी को बिना पश्चात्वर्ती अतिक्रमी साबित न होते हुए भी अपीलार्थी को 60 दिन के सिविल कारावास के दण्ड



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 127/2025 धर्मसिंह बनाम सरकार ।

से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के पड़ोसी खातेदारों के बयान दर्ज किये बिना ही अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्त ने अपीलार्थी का शपथ पत्र इस आशय का कि अपीलार्थी भूमि खं0नं0 3463 रकबा 0.25 है0 ग्राम खण्डीप से अपना कब्जा हटा लिया है। अब अपीलार्थी या अपीलार्थी का परिवार का कोई सदस्य उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, साथ ही विद्वान अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिक्रमण होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपीलार्थी ने एक शपथ पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया अपीलार्थी भूमि खं0नं0 3463 रकबा 0.25 है0 ग्राम खण्डीप से अपना कब्जा हटा लिया है। अब अपीलार्थी या अपीलार्थी का परिवार का कोई सदस्य उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्त कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 06.09.2023 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्त का कब्जा काशत पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2023 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी